

728/  
०९/१७

प्रभाग II

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर  
क्रमांक : शिविरा-गा / साप्र / वी-2 / विविध / 2017      दिनांक : ३/६/२०१७

लिला शिष्टा अधिकारी  
(माध्यमिक)जालावाड़

व्यक्ति

०५१५०८०८०८

विषय : मेटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट अमेडमेन्ट 2004 के  
तहत श्रीमती राक्षी शर्मा, क०लिंग को एक घण्टे  
की छूट के क्रम में।  
प्रसंग : आपका पत्र दिनांक 1.9.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मेटरनिटी  
प्रोटेक्शन एक्ट अमेडमेन्ट 2004 के तहत महिला कार्मिक को व्रेस्ट फिडिंग हेतु वर्तमान में कोई  
नियम नहीं हैं।

सहायक निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
वीकानेर